भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 974
गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 / 19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का विस्तार और आधुनिकीकरण

974. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:
श्री मद्दीला गुरूमूर्ति:
श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए विमानपत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए क्या योजनाएं और समय-सीमा निर्धारित की गई हैं;
(ख) अल्पसेवित क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के लिए क्या पहल की गई है; और
(ग) आकर्षक पर्यटन-स्थल वाले घरेलू द्वीपों तक हवाई यात्रा को सुलभ बनाने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): हवाईअड्डों पर अवसंरचनाओं/सुविधाओं के उन्नयन सहित उनका विस्तार एक सतत प्रक्रिया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) या संबद्ध हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रचालन की अपेक्षाओं, यातायात, मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर किया जाता है। भाविप्रा और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों ने 2019-24 के दौरान, विभिन्न ब्राउनफील्ड हवाईअड्डों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण और ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए भाविप्रा द्वारा लगभग 25,000 करोड़ रुपये सहित 98,000 करोड़ रुपये से अधिक की कैपेक्स योजना शुरू की है।

उड़ान योजना के तहत, अब तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वॉटर ऐरोड्रोम्स और 9 हेलीपैड्स सहित 76 हवाईअड्डों का विकास किया गया है और प्रचालन आरंभ किया गया है। 2023-24 के दौरान, उड़ान योजना के तहत 50 अतिरिक्त हवाईअड्डों/हेलीपोर्ट्स/ वॉटर ऐरोड्रोम्स का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय ने देश में असेवित और अल्प-सेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से दिनांक

21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। उड़ान एक बाज़ार आधारित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें, विशिष्ट मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर उड़ान योजना के तहत बोली लगाने के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। वह असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डा, जो उड़ान योजना के तहत अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल है और उड़ानों के परिचालन हेतु उसके उन्नयन/विकास की आवश्यकता है तो उसे 'असेवित और अल्प–सेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार' योजना के तहत विकसित किया जाता है।

(ग) उड़ान योजना के तहत, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं,जिनमें पहाड़ी राज्य और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। उड़ान योजना के तहत, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में विकास हेतु निम्नलिखित हवाईअड्डों और वॉटर ऐरोड्रोम्स (डब्ल्यूए) की पहचान की गई है:

अंडमान और निकोबार: शिबपुर, कार निकोबार, कैंपबेल बे, शहीद द्वीप (डब्ल्यूए), स्वराज द्वीप (डब्ल्यूए), लॉन्ग आइलैंड (डब्ल्यूए), मायाबुंदेर (डब्ल्यूए)

लक्षद्वीप: मिनिकॉय (डबल्यूए), कावारत्ती (डबल्यूए), अगात्ती (डबल्यूए), कल्पेनी (डबल्यूए),कदमत (डबल्यूए), बंगाराम (डबल्यूए), किल्टन (डबल्यूए), बित्रा (डबल्यूए)

****